2019 का विधेयक सं. 22

राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्र:स्थापित किया जायेगा)

दुर्बल व्यक्तियों के सांविधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा करने, लिंचिंग के कृत्यों के लिए दंडित करने, ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु अभिहित न्यायालयों के लिए उपबंध करने के लिए, मॉब लिंचिंग से पीड़ितों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास के लिए और उससे संसक्त या आन्षंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेत् विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण अधिनियम, 2019 है।
 - (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "हिंसा का कृत्य" से धारा 8 के अधीन दंडनीय कृत्य अभिप्रेत है;
 - (ख) किसी महानगर क्षेत्र में, "पुलिस उप अधीक्षक" में सहायक पुलिस आयुक्त सम्मिलित है;
 - (ग) "प्रतिकूल परिवेश" से अभित्रासकारी या प्रपीड़क ऐसा परिवेश अभिप्रेत है जो पीड़ित या पीड़ित के कुटुंब के सदस्यों के विरुद्ध अथवा किन्हीं साक्षियों या साक्षी अथवा पीड़ित को सहायता देने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध बनाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित कृत्य किया जाना सम्मिलित है-

- (i) ऐसे ट्यक्ति के ट्यापार या कारबार का बहिष्कार करना अथवा उसके लिए आजीविका के अर्जन को अन्यथा कठिन बनाना; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति या उसके कुटुंब को उस परिक्षेत्र से, जहां वह या उसका कुटुंब सामान्यत: स्थायी निवासी के रूप में निवास करता रहा है, बाहर कर देना; या
- (iii) शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सिहत लोक सेवाओं से अपवर्जन या तिरस्कार के किसी कृत्य द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित करना; या
- (iv) ऐसे व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से वंचित करना या वंचित करने की धमकी देना; या
- (v) ऐसे व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्त सहमित के बिना अपने घर या मामूली तौर से निवास या आजीविका के स्थान को छोड़ने के लिए विवश करना; या
- (vi) कोई अन्य कृत्य, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन अपराध की श्रेणी में आता हो अथवा नहीं, जिसका प्रयोजन या प्रभाव किसी अभित्रासकारी, प्रतिकूल या संतापकारी परिवेश का निर्माण करना हो।
- (घ) "लिंचिंग" से धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार-व्यवहार, लैंगिक अभिविन्यास, राजनैतिक सम्बद्धता, नस्ल के आधार पर मॉब द्वारा हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की शृंखला अथवा हिंसा के कृत्य में सहायता करना या उसके लिए उकसाना या हिंसा करने का प्रयास करना, चाहे वह कृत्य स्वाभाविक हो अथवा योजनाबद्ध हो, अभिप्रेत है;
- (ङ) "मॉब" से दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह अभिप्रेत है;
- (च) "संतापकारी सामग्री" से ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसके लिए युक्तियुक्त रूप से यह अर्थ लगाया जा सके कि उसे धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार-

व्यवहार, लैंगिक अभिविन्यास, राजनैतिक सम्बद्धता, नस्ल के आधारों पर या किन्हीं अन्य आधारों पर किसी व्यक्ति को लिंच करने के लिए मॉब को उद्दीप्त करने के लिए बनाया गया है;

- (छ) "राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम" से समय-समय पर संशोधित राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 अभिप्रेत है:
- (ज) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (झ) किसी महानगर क्षेत्र में "पुलिस अधीक्षक" में कोई पुलिस उपाय्क्त सम्मिलित है;
- (ञ) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध कारित किये जाने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक अपहानि को सहन किया है, और इसमें उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी सम्मिलित हैं;
- (ट) "साक्षी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से अंतर्वलित किसी दाण्डिक कार्य के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सिम्मिलित है;
- (ठ) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त की गयी हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गयी हैं, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में परिभाषित की गयी हैं, वही अर्थ

होंगे जो उन्हें क्रमश: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) या, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में दिये गये हैं।

अध्याय 2

नोडल अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य

- 3. नोडल अधिकारी.- (1) पुलिस महानिदेशक, लिंचिंग को रोकने के लिए एक राज्य समन्वयक नियुक्त करेगा, जो पुलिस महानिरीक्षक की रैंक से अनिम्न रैंक का अधिकारी हो।
- (2) प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक, जिला समन्वयक होगा जिसे मॉब हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के उपाय करने के लिए जिले में के पुलिस उप अधीक्षकों में से किसी एक द्वारा सहायता दी जायेगी।
- 4. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो किसी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रत्यक्षतः भारसाधक है, लिंचिंग, उसके उद्दीपन और कारित करने सहित उसके किसी भी कृत्य को रोकने के लिए समस्त युक्तियुक्त कदम उठायेगा और उस प्रयोजन के लिए-
 - (i) किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह को लिंचिंग करने हेतु उद्दीप्त करने या अग्रसर करने के लिए प्रयुक्त संतापकारी सामग्री या अन्य साधनों की पहचान करने और रोकने के लिए समस्त सम्भव प्रयास करेगा और उन्हें रोकने के लिए समस्त समस्त अवशिष्ट उपाय करेगा;
 - (ii) उसमें निहित शक्तियों के अनुसार लिंचिंग को रोकने के लिए अपने कर्तव्य के अग्रसरण में कार्य करेगा; और
 - (iii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, जिसे ऐसी घटनाओं में लक्ष्य बनाया गया है, के विरुद्ध

प्रतिकूल परिवेश के सृजन को रोकने और उसका उन्मूलन करने के लिए यथासंभव प्रयास करेगा।

- (2) प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों को कारित किये जाने से रोकने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमतान्सार हर संभव कार्रवाई करेगा।
- 5. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य.- (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब कभी जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसकी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जहां लिंचिंग की आशंका है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे किसी भी कृत्य को प्रतिषिद्ध कर सकेगा जो उसकी राय में लिंचिंग के कृत्य को उद्दीप्त करने या कारित करने की ओर अग्रसर कर सकता है।
- (2) जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, जिसे ऐसी घटनाओं में लक्ष्य बनाया गया है, विरुद्ध प्रतिकूल परिवेश के सृजन को रोकने के लिए अपनी सर्वोत्तम योग्यता से हर संभव कार्रवाई करेगा।

अध्याय 3

लिंचिंग की ओर अग्रसर करने वाले कृत्यों का निवारण

- 6. लिंचिंग रोकने का कर्तव्य.- (1) पुलिस थाना के प्रत्येक प्रभारी पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र में लिंचिंग, उसके उद्दीपन, कारित किये जाने और संभाव्य फैलाव सहित किसी घटना को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठाये और उस प्रयोजन के लिए-
 - (i) अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र में हिंसा के तरीकों, जिनसे लक्ष्य बनाकर की गयी हिंसा की घटना उपदर्शित होती है, की पहचान करने का हर संभव प्रयास करेगा:

- (ii) लिंचिंग के किसी कृत्य की संभावना के संबंध में सूचना अभिप्राप्त करेगा; और
- (iii) उनमें निहित शक्तियों के अनुसार लिंचिंग के किसी कृत्य को रोकने के अपने कर्तव्य के अग्रसरण में कार्य करेगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई विलम्ब किये बिना उचित, निष्पक्ष और गैर-विभेदकारी रीति से कार्य करेगा।
- 7. मॉब के विरुद्ध प्राधिकार का प्रयोग करने की शक्ति.- (1) पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह मॉब को तितर-बितर कराने के लिए अपने प्राधिकार का प्रयोग करे।
- (2) पुलिस थाने का प्रभारी पुलिस अधिकारी अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसीकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 129 के अधीन उसमें निहित हैं।
- (3) पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो गैर-जिम्मेदार और ऐसी अंतर्वस्तु वाले विस्फोटक संदेश या विडियो का प्रसार करते हैं जिनसे किसी प्रकार की मॉब हिंसा और मॉब लिंचिंग उद्दीप्त होने की सम्भावना हो, विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेगा।

अध्याय 4 लिंचिंग के लिए दंड

- 8. लिंचिंग के अपराध के लिए दंड.- जो कोई व्यक्ति लिंचिंग का कृत्य कारित करता है-
 - (क) जहां उस कृत्य से पीड़ित को उपहित कारित होती है, वहां वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जिसकी अविध सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा;
 - (ख) जहां उस कृत्य से पीड़ित को घोर उपहित कारित होती है, वहां वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जिसकी

- अविध दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा और जो तीन लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा;
- (ग) जहां उस कृत्य से पीड़ित की मृत्यु हो जाती है वहां वह आजीवन कठोर कारावास से और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा और जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा. दंडित किया जायेगा।
- 9. लिंच करने के लिए षडयंत्र या दुष्प्रेरण या सहायता या प्रयास के लिए दंड.- जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लिंच करने के लिए किसी षडयंत्र में सम्मिलित होता है या षडयंत्र करता है या लिंचिंग के किसी कृत्य का दुष्प्रेरण या उसमें सहायता या प्रयास करता है, वह उसी रीति से दंडित किया जायेगा मानो उसने स्वयं लिंचिंग कारित की है।
- 10. विधिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए दंड.- कोई व्यक्ति जो-
 - (क) यह जानता है या जिसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी है, उस अन्य व्यक्ति को उक्त अपराध के लिए उसकी गिरफ्तारी, विचारण या दंड से, निवारित करने, रोकने या अन्यथा हस्तक्षेप करने के आशय से कोई सहायता प्रदान करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अविध पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, भी दंडनीय होगा;
 - (ख) किसी साक्षी को उसके शरीर या संपित को या ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर या संपित, जिसमें वह हितबद~ध है, को क्षिति पहुंचाने के लिए, उस व्यक्ति की अपहानि करने के आशय से धमकाता है या उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण, विचारण में साक्षी होने से विरत रहने या प्रत्याहzत करने के लिए विवश करता है, तो वह

ऐसे कारावास से, जिसकी अविध पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, भी दंडनीय होगा।

अध्याय 5

अन्य अपराध और दंड

- 11. संतापकारी सामग्री के प्रसार के लिए दंड.- तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई भौतिक या इलेक्ट्रानिक किसी भी ढंग से किसी संतापकारी सामग्री को प्रकाशित, संसूचित या प्रसारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।
- 12. प्रतिकूल परिवेश प्रवर्तित करने के लिए दंड.- जो कोई किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर प्रतिकूल परिवेश में सहयोग करता है या प्रवर्तित करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, भी दंडनीय होगा।

अध्याय 6

अन्वेषण, अभियोजन और विचारण

- 13. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंध उस सीमा के सिवाय, जिस सीमा तक उन्हें इस अध्याय के अधीन उपबंधों द्वारा संशोधित या अनुप्रित किया गया है, इस अधिनियम पर लागू होंगे।
- 14. अपराधों का संजेय, अजमानतीय और अशमनीय होना.- जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संजेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे।
- 15. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण.- पुलिस निरीक्षक की रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कारित किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।

- 16. मामलों का अभिहित न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय होना.-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण, इस अधिनियम के अधीन निय्क्त अभिहित न्यायाधीशों द्वारा किया जायेगा।
- 17. अभिहित न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने अभिहित न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी, जितने वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए आवश्यक समझे।
- (2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन सेशन न्यायाधीश न हो या न रहा हो।
- 18. अभिहित न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्ति.- (1) अभिहित न्यायाधीश, पुलिस रिपोर्ट पर, विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किये बिना, किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा।
- (2) अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण करते समय, अभिहित न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) द्वारा वारंट मामलों के विचारण हेतु विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
- (3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंध, जब तक कि वे इस अधिनियम से असंगत न हो, अभिहित न्यायाधीश के समक्ष विचारण के संबंध में लागू होंगे; और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायाधीश का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जायेगा।
- (4) अभियुक्त व्यक्ति का विचारण करते समय, अभिहित न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी, जिसका अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन उसी विचारण में आरोप

हो यदि वह अपराध इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराध से संबंधित हो, विचारण कर सकेगा।

- (5) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण के अनुक्रम में, यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने कोई अन्य अपराध कारित किया है तो अभिहित न्यायाधीश, ऐसे अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति का, चाहे वह अपराध इस अधिनियम के अधीन अपराध हो या न हो, विचारण कर सकेगा और उसके लिए दंड के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा।
- (6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभिहित न्यायाधीश सिवाय ऐसे कारणों के, जो पक्षकारों के नियंत्रण से परे हों, अपराध का विचारण दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा:

परन्तु जहां अभिहित न्यायाधीश अपराध का विचारण दिन प्रतिदिन के आधार पर करने में असमर्थ हो, वहां इसके कारण अभिहित न्यायाधीश द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे।

- (7) जहां तक युक्तियुक्त रूप से संभव हो, पीड़ितों और साक्षियों के सभी कथन आरोप विरचित किये जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस की कालाविध के भीतर-भीतर लेखबदध किये जाने चाहिएं।
- (8) जहां तक युक्तियुक्त रूप से संभव हो, न्यायालय का यह सुनिश्चित करने का प्रयास होगा कि किसी साक्षी को सुनवाई की दो से अधिक तारीखों पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता न हो।
- 19. विचारण के दौरान पीड़ितों और साक्षियों के अधिकार.- (1) कोई अभिहित न्यायाधीश, उसके समक्ष की किन्हीं कार्यवाहियों में किसी साक्षी द्वारा आवेदन किये जाने पर या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा या स्वप्रेरणा से, ऐसे उपाय कर सकेगा जो किसी साक्षी की पहचान और पता गुप्त रखने के लिए वह उचित समझे।
- (2) पीड़ित को न्यायालय की किसी कार्यवाही की युक्तियुक्त, सही और यथासमय सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा और वह किसी अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, पैरोल, दोषसिद्धि या दंडादेश या संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों या बहसों को सुने जाने का और

दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या दंडादेश पर लिखित निवेदन किये जाने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही को सुने जाने का हकदार होगा।

- (3) पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी पीड़ित को अपराध के अन्वेषण की प्रगति के बारे में, चाहे अपराधी गिरफ्तार किया गया हो या नहीं, उस पर आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो या नहीं, उसे जमानत दी गयी हो या नहीं, आरोपित किया गया हो या नहीं, दोषसिद्ध या दंडादिष्ट किया गया हो या नहीं और यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए आरोपित किया गया है तो संदिग्ध अपराधी के नाम के बारे में, लिखित में सूचना देगा।
- (4) पीड़ित को अन्वेषण या जांच के दौरान अभिलिखित किये गये साक्षी के किसी कथन की प्रति, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 173 के अधीन फाइल किये गये समस्त कथनों और दस्तावेजों की प्रति, पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र या समापन रिपोर्ट सहित, प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (5) पीड़ित को, यदि वह ऐसा चाहता है, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) के अधीन विधिक सहायता पैनल में प्रविष्ट अधिवक्ताओं में से किसी अधिवक्ता को, जिसे वह चाहे, नियुक्त करने का अधिकार होगा और उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित या सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के समस्त खर्चे, व्यय और फीस का संदाय स्संगत नियमों के अन्सार करेगा।
- (6) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मामले का विचारण करने वाला अभिहित न्यायाधीश, पीड़ित द्वारा सिफारिश किये गये किसी अधिवक्ता द्वारा अभियोजन संचालित किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या किसी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति, अभिहित न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन के बिना अभियोजन के संचालन का हकदार नहीं होगा।

- (7) जहां अभियोजन का संचालन पीड़ित द्वारा सिफारिश किये गये किसी अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी सेवा से उद्भूत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- (8) राज्य सरकार का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरण या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों और साक्षियों के संरक्षण का इंतजाम करे।
- (9) राज्य सरकार, अभिहित न्यायाधीश को किसी पीड़ित, सूचना देने वाले, या साक्षी को दिये गये संरक्षण के बारे में सूचित करेगी और अभिहित न्यायाधीश इस धारा के अधीन दिये जा रहे उस संरक्षण का कालिक पुनर्विलोकन करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।
- (10) पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा अथवा हिंसा की धमिकयों के विरुद्ध पीड़ित, सूचना देने वाले या साक्षियों की शिकायत को, चाहे वह मौखिक रूप से दी जाये या लिखित रूप से, प्राप्त करे और अभिलिखित करे और उसकी प्रति उसके अभिलिखित किये जाने के चौबीस घण्टे के भीतर-भीतर अभिहित न्यायाधीश को भेजी जायेगी।

अध्याय 7 राहत और पुनर्वास

- 20. पीड़ित का उपचार.- सभी अस्पतालों, लोक या निजी, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाये जा रहे हों, पीड़ित को तुरन्त नि:शुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करायेंगे और ऐसी घटना के संबंध में तत्काल प्लिस को सूचना देंगे।
- 21. लिंचिंग का प्रतिकर.- (1) राज्य सरकार पीड़ित को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अन्सार प्रतिकर उपलब्ध करवायेगी।

- (2) धारा 8 के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित या, यथास्थिति, उसके विधिक वारिस को संदत्त किया जायेगा।
- 22. विस्थापन.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध के कारण पीड़ित का अपने निवास स्थान से विस्थापन हुआ है, वहां राज्य सरकार पीड़ितों की वास-सुविधा का इंतजाम करेगी और ऐसे पीड़ितों के प्नर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी।
- (2) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराधों के कारण पचास से अधिक व्यक्तियों का विस्थापन हुआ है, वहां राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित रीति से राहत शिविर स्थापित करेगी।
- 23. राहत शिविरों की स्थापना.- (1) राज्य सरकार सभी पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविर स्थापित करेगी।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राहत शिविरों का प्रचालन राज्य सरकार द्वारा तब तक जारी रखा जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति अपने मूल आवासों में लौट नहीं जाते, अथवा नये यथोचित अवस्थान में प्न: नहीं बस जाते।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राहत शिविरों में, किन्हीं भी परिस्थितियों में और किसी भेदभाव के बिना, ऐसे व्यक्तियों को कम से कम निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जायेंगी-
 - (क) आधारभूत आश्रय जो मौसम की अत्यधिक असामान्य स्थितियों से इन शिविरों के निवासियों के संरक्षण के लिए समुचित और पर्याप्त हो, और जो समुचित एकांतता, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को, उपलब्ध कराता हो;
 - (ख) राहत शिविर में चौबीस घण्टे स्रक्षा;
 - (ग) पर्याप्त पोषक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त भोजन;
 - (घ) पेय जल;
 - (ङ) पर्याप्त मात्रा में वस्त्र जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों और मौसम की अत्यधिक असामान्य स्थितियों में शिविर के निवासियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त हो;

- (च) गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात् देखभाल सिहत आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं, बाल चिकित्सा सेवा और घायलों के लिए आपात और पुनर्वास संबंधी सेवाएं तथा रेफरल सेवाएं जहां कहीं उनके लिए आवश्यक हों;
- (छ) पर्याप्त स्वच्छता;
- (ज) मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और अभिघात संबंधी परामर्श और मनोचिकित्सीय सेवाएं;
- (झ) नवजात और छोटे बालकों के लिए शिश् देखभाल सेवाएं;
- (ञ) बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं;
- (ट) विशेष सुविधाएं और सहायता, जो राहत शिविरों के कतिपय निवासियों जैसेकि बालकों, विशेषकर अकेले अवयस्कों, गर्भवती माताओं, छोटे बालकों की माताओं, घर की महिला मुखियाओं, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बुजुर्गों और नि:शक्त व्यक्तियों की चिकित्सीय दशा और उपचार के लिए आवश्यक और युक्तियुक्त हों।

अध्याय 8

अपील

- 24. अपील.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-
 - (i) किसी अभिहित न्यायाधीश के किसी भी निर्णय, दण्डादेश या आदेश, जो कि अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा; और
 - (ii) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस निर्णय, दंडादेश या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर की जायेगी:

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि आवेदक द्वारा साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था तो उच्च न्यायालय साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

अध्याय 9 प्रकीर्ण

25. किठनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई किठनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो किठनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।
- 26. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध, सिवाय उस सीमा तक, जहां तक कि इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत न हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।
- 27. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालाविध के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उन सत्रों की, जिनमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो

तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः भारत का संविधान समस्त व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार प्रत्याभूत करता है। हाल ही में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप मॉब लिंचिंग के कारण व्यक्तियों की जीविका की हानि, क्षिति और उनकी मृत्यु हुई है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट पिटीशन (सिविल) सं. 754/2016 तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 17.7.2018 को अपने निर्णय में इस संबंध में विधायन अधिनियमित करने की सिफारिश की है। इसलिए, इस बुराई को आरंभ में ही नियंत्रित करने के लिए और घृणा को फैलाने या मॉब लिंचिंग के उद्दीपन से रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन अन्य अपराधों के अतिरिक्त ऐसी मॉब लिंचिंग के विरुद्ध इसे विशेष अपराध बनाया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने वर्णित मामलों के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

खण्ड के सम्बन्ध में 22(2) वह रीति विहित करना जिसमें राहत शिविर स्थापित किये जायेंगे; 27 साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से सम्बन्धित है।

अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

Bill No. 22 of 2019

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PROTECTION FROM LYNCHING BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

\boldsymbol{A}

Bill

to provide for effective protection of the Constitutional rights of vulnerable persons, to punish the acts of lynching, to provide for designated courts for the expeditious trial of such offences, for rehabilitation of victims of mob lynching and their families and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I Preliminary

- **1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Protection from Lynching Act, 2019.
 - (2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- **2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "act of violence" means the act punishable under section 8;

- (b) "Deputy Superintendent of Police" includes Assistant Commissioner of Police in a Metropolitan area;
- (c) "hostile environment" means intimidating or coercive environment that is created against the victim or the family members of the victim or against any witnesses or any one providing assistance to the witness or victim, which includes being subjected to the following act-
 - (i) boycott of the trade or businesses of such person or making it otherwise difficult for him to earn a living; or
 - (ii) extern such person or his family from the locality where he or his family has normally been residing as permanent resident; or
 - (iii) public humiliation through exclusion from public services, including education, health and transportation or any act of indignity; or
 - (iv) deprive or threaten to deprive such person of his fundamental right; or
 - (v) force such person to leave his home or place of ordinary residence or livelihood without his express consent; or
 - (vi) any other act, whether or not it amounts to an offence under this Act, that has the purpose or effect of creating an intimidating, hostile or offensive environment;

- (d) "lynching" means any act or series of acts of violence or aiding, abetting or attempting an act of violence, whether spontaneous or planned, by a mob on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, language, dietary practices, sexual orientation, political affiliation, ethnicity;
- (e) "mob" means a group of two or more individuals;
- (f) "offensive material" means any material that can be reasonably construed to have been made to incite a mob to lynch a person on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, language, dietary practices, sexual orientation, political affiliation, ethnicity or any other related grounds;
- (g) "Rajasthan Victim Compensation Scheme" means the Rajasthan Victim Compensation Scheme, 2011, as amended from time to time;
- (h) "State" means the State of Rajasthan;
- (i) "Superintendent of Police" includes Deputy Commissioner of Police in a Metropolitan area;
- (j) "victim" means any person, who has suffered physical, mental, psychological or monetary harm as a result of the commission of any offence under this Act, and includes his relatives, legal guardian and legal heirs;
- (k) "witness" means any person who is acquainted with the facts and circumstances, or is in possession of any information or has knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry, or trial of any crime involving an offence under this Act, and who is or may be

- required to give information or make a statement or produce any document during investigation, inquiry or trial of such case and includes a victim of such offence;
- (1) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) or the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) shall have the meanings assigned to them respectively in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), or as the case may be, in the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

CHAPTER II

Duties of Nodal Officer, Police Officer and District Magistrate

- **3. Nodal Officer.** (1) Director General of Police shall appoint a State Coordinator to prevent lynching who is the officer not below the rank of Inspector General of Police.
- (2) Every District Superintendent of Police shall be the District Coordinator, who shall be assisted by one of the Deputy Superintendents of Police in the district for taking measures to prevent incidents of mob violence and lynching.
- **4. Duties of Police Officer.** (1) Every police officer, directly in charge of maintaining law and order in an area, shall take all reasonable steps to prevent any act of lynching including its incitement and commission; and to that end-
 - (i) make all possible efforts to identify and prevent instances of dissemination of offensive material or any other means employed in order to incite or promote lynching of a particular person or group of persons and to take all residual measures to prevent;

- (ii) act in furtherance of the duty to prevent lynching in accordance with the powers vested in him; and
- (iii) make all possible efforts to prevent and eradicate the creation of a hostile environment against a person or group of persons which is targeted in such incidents.
- (2) Every police officer shall take every possible action to the best of his ability, to prevent the commission of all offences under this Act.
- **5. Duties of District Magistrate.-** (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) whenever the District Magistrate has reason to believe that in any area within his jurisdiction, a situation has arisen where there is an apprehension of lynching, he may, by order in writing, prohibit any act which in his opinion is likely to lead to the incitement and commission of an act of lynching.
- (2) The District Magistrate shall take every possible action to the best of his ability to prevent the creation of a hostile environment against a person or group of persons which is targeted in such incidents.

CHAPTER III

Prevention of Acts Leading to Lynching

- **6. Duty to prevent lynching.-** (1) It shall be duty of every police officer, in charge of a police station to take all reasonable steps to prevent any incident of lynching, including its incitement, commission and possible spread in the area under his jurisdiction and to that end-
 - (i) make all possible efforts to identify patterns of violence in the area under his jurisdiction, that indicate occurrence of targeted violence;

- (ii) obtain information regarding the likelihood of an act of lynching; and
- (iii) act in furtherance of the duty to prevent any act of lynching in accordance with the powers vested in them.
- (2) Every police officer exercising powers under this Act in discharge of his duties shall act without any delay in a fair, impartial and non-discriminatory manner.
- **7. Power to exercise authority against mobs.** (1) It shall be the duty of every police officer in-charge of a police station to exercise his authority on a mob in order to cause it to disperse.
- (2) In exercise of his authority, a police officer in-charge of a police station may use such powers as vested under section 129 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).
- (3) The police officer shall cause to register the First Information Report under relevant provisions of law against such persons who disseminate irresponsible and explosive messages or videos having content which is likely to incite mob violence and mob lynching of any nature.

CHAPTER IV

Punishment for Lynching

- **8. Punishment for offence of lynching.-** Whoever commits an act of lynching-
 - (a) where the act leads to the victim suffering hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and with fine which may extend to one lakh rupees;
 - (b) where the act leads to the victim suffering grievous hurt, shall be punished with

imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees and may extend to three lakh rupees;

- (c) where the act leads to the death of the victim, shall be punished with rigorous imprisonment for life and with fine which shall not be less than one lakh rupees and may extend to five lakh rupees.
- **9. Punishment for conspiracy or abetment or aides or attempts to lynch.-** Whoever takes part in a conspiracy or conspires to lynch another person, or abets or aides or attempts an act of lynching shall be punished in the same manner as if he had himself committed lynching.
- **10. Punishment for obstructing legal process.-** Any person who-
 - (a) knows or has reasonable cause to believe that any other person is guilty of an offence under this Act, gives that other person any assistance with intent thereby to prevent, hinder or otherwise interfere with his arrest, trial or punishment for the said offence, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees;
 - (b) threatens a witness with any injury to his person or property or to the person or property of any one in whom that person is interested, with intent to cause harm to that person, or to compel that person to refrain or withdraw from being a witness in any investigation, trial under this

Act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.

CHAPTER V

Other Offences and Punishment

- 11. Punishment for dissemination of offensive material. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, whoever publishes, communicates or disseminates by any method, physical or electronic, any offensive material, shall be punished with imprisonment of either description for a term of not less than one year but which may extend to three years, and with fine which may extend to fifty thousand rupees.
- 12. Punishment for enforcing a hostile environment.-Whoever contributes or enforces a hostile environment on a person or a group of persons shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.

CHAPTER VI

Investigation, Prosecution and Trial

- **13. Application of Code of Criminal Procedure, 1973.** The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), shall apply to this Act, save as amended or supplemented to the extent provided under this Chapter.
- **14.** Offences to be cognizable, non-bailable and non-compoundable. Unless otherwise specified, all offences specified under this Act, shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable.
- **15. Investigation by senior police officer.** No police officer below the rank of Inspector of Police shall investigate any offence committed under this Act.

- 16. Cases triable by Designated Judges.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), or in any other law for the time being in force, the offences specified under this Act shall be tried by Designated Judges appointed under this Act.
- **17. Power to appoint Designated Judges.** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as many Designated Judges in consultation with the Chief Justice of the High Court as it may be necessary to try offences punishable under this Act.
- (2) A person shall not be qualified for appointment as a Designated Judge under this Act unless he is or has been a Sessions Judge under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).
- **18.** Procedure and power of the Designated Judge.- (1) A Designated Judge may take cognizance of any offence, without the accused being committed to it for trial, upon a police report.
- (2) In trying the accused persons, the Designated Judge shall follow the procedure for the trial of warrant cases prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).
- (3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973(Central Act No. 2 of 1974), shall, so far as they are not inconsistent with this Act, apply to the proceedings before a Designated Judge; and for the purposes of the said provisions, the Court of the Designated Judge shall be deemed to be a Court of Session.
- (4) When trying the accused person, a Designated Judge may also try any offence, other than an offence specified under this Act, with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), be charged at the same trial if the offence is connected with the offence under this Act.
- (5) If, in the course of any trial under this Act, it is found that the accused person has committed any other offence, the Designated Judge may, whether such offence is or is not an offence

under this Act, try such person of such offence and pass any sentence authorized by law for the punishment thereof.

(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) a Designated Judge shall hold the trial of an offence on day-to-day basis save for reasons beyond the control of parties:

Provided that where a Designated Judge is unable to hold the trial of the offence on day-to-day basis, the reasons for the same, shall be recorded in writing by the Designated Judge.

- (7) In so far as reasonably possible, all statements of victims and witnesses should be recorded within a period of one hundred and eighty days from the date of framing the charge.
- (8) In so far as reasonably possible, it shall be the endeavor of the Court to ensure that any witness is not required to attend the Court on more than two dates of hearing.
- 19. Rights of victims and witnesses during trial. (1) A Designated Judge may, on an application made by a witness in any proceedings before it or by the Public Prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures as it deems fit for keeping the identity and address of the witness secret.
- (2) A victim shall have the right to reasonable, accurate, and timely notice of any court proceeding and shall be entitled to be heard at any proceeding under this Act in respect of bail, discharge, release, parole, conviction or sentence of an accused or any connected proceedings or arguments and file written submissions on conviction, acquittal or sentencing.
- (3) The Superintendent of Police or an officer designated by him shall inform the victim in writing about the progress of investigations into the offence, whether or not the offender has been arrested, charge-sheeted, granted bail, charged, convicted or sentenced, and if a person has been charged with the offence, then the name of the suspected offender.
- (4) The victim shall have the right to receive a copy of any statement of the witness recorded during investigation or inquiry, and a copy of all statements—and documents filed under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of

1974) including the charge-sheet or closure report submitted by police.

- (5) A victim shall be entitled to receive free legal aid if he so chooses and to engage any advocate who he chooses from among those enrolled in the legal aid panel under the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987) and the Legal Services Authority established under the said Act shall pay all costs, expenses and fees of the advocate appointed by the victim or informant in accordance with relevant rules.
- (6) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Designated Judge trying a case may permit the prosecution to be conducted by any advocate recommended by the victim:

Provided that no person, other than the Advocate-General or Government Advocate or a Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor, shall be entitled to conduct the prosecution without the prior approval of the Designated Judge.

- (7) Where the prosecution is conducted by an advocate recommended by the victim, the expenses arising out of such service shall be borne by the State Government.
- (8) It shall be the duty and responsibility of the State Government for making arrangements for the protection of victims and witnesses against any kind of intimidation, coercion or inducement of violence or threats of violence.
- (9) The State Government shall inform the Designated Judge about the protection provided to any victim, informant or witness and the Designated Judge shall periodically review the protection being provided under this section and pass appropriate orders.
- (10) It shall be the duty of the police officer to receive and record the complaint of victim, informant or witnesses against any kind of intimidation coercion or inducement or violence or threats of violence, whether given orally or in writing and copy of the

same shall be sent to the Designated Judge within twenty-four hours of recording it.

CHAPTER VII

Relief and Rehabilitation

- **20. Treatment of victim.-** All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately provide the first aid or medical treatment free of cost to victim and shall immediately inform the police of such incident.
- **21.** Compensation of lynching.- (1) The State Government shall provide compensation to the victim as per Rajasthan Victim Compensation Scheme.
- (2) Any fine imposed under section 8 shall be paid to the victim or his legal heir, as the case may be.
- **22. Displacement.-** (1) Where the offence under this Act has led to displacement of the victims from their residence, the State Government shall arrange for the accommodation of the victims and take all necessary steps to rehabilitate such victims.
- (2) Where the offences under this Act, has to lead to the displacement of more than fifty persons, the State Government shall set up relief camps in the manner prescribed by rules.
- **23. Establishment of relief camps.-** (1) The State Government shall establish relief camps in safe locations for all victims.
- (2) Relief camps established under sub-section (1) shall continue to be operated by the State Government until such persons return to their original habitations, or are resettled in a new suitable location.
- (3) Relief camps established under sub-section (1) shall, at the minimum, regardless of the circumstances and without discrimination, provide such persons with-
 - (a) basic shelter which is appropriate and adequate to protect the residents of the camps from extremes

- of the weather, and which provides due privacy especially to women and girls;
- (b) twenty four hour security at the relief camp;
- (c) adequate nutritious and culturally appropriate food;
- (d) potable drinking water;
- (e) adequate clothing which is culturally appropriate and sufficient to protect the residents of the camp from extremes of weather:
- (f) essential medical services including antenatal and postnatal care of expectant mothers, pediatric care and emergency and rehabilitative services for the injured and referral services wherever necessary;
- (g) adequate sanitation;
- (h) psycho-social and trauma counseling and psychiatric services;
- (i) child-care services for infants and small children;
- (j) educational facilities for children;
- (k) special facilities and assistance, as may be necessary and reasonable for the medical condition and treatment of certain residents of the relief camps, as children, especially unaccompanied minors, expectant mothers, mothers with young children, female heads of households, elderly and disabled persons with special needs.

CHAPTER VIII

Appeals

- **24. Appeals.-** Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974),-
 - (i) an appeal shall lie as a matter of right from any judgment, sentence or order, not being interlocutory order, of a Designated Judge to the High Court both on facts and on law; and

(ii) every appeal under this section shall be preferred within a period of sixty days from the date of the judgment, sentence or order appealed from:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of sixty days.

CHAPTER IX

Miscellaneous

25. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.
- **26.** Act to be in addition to any other law. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force except to the extent the provisions of other laws are inconsistent with the provisions of this Act.
- **27. Power to make rules.-** (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the sessions in which they are so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or

annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas the Constitution of India guarantees to all persons the right to life and personal liberty and the Equal protection of laws. In recent times there have been many of incidents resulting in loss of livelihood, injuries and death of persons at the hands of mob lynching. Supreme Court of India in its Judgment dated 17.7.2018 in Writ Petition (Civil) No. 754/2016 *Tehseen S.Poonawalla Vs Union of India and Others* has recommended for enacting legislation in this regard. Therefore, it is proposed to nip the evil in the bud and to prevent spreading of hatred or incitement to Mob lynching by creating special offences against such Mob lynching in addition to other offences under the Indian Penal Code.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

> अशोक गहलोत, Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to matters mentioned against each such clause.

Clauses	With respect to
22(2)	Prescribing the manner, in which relief camps
	shall be set up.
27	generally to carry out the Purposes of this Act.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

2019 का विधेयक सं. 22

राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

दुर्बल व्यक्तियों के सांविधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा करने, लिंचिंग के कृत्यों के लिए दंडित करने, ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु अभिहित न्यायालयों के लिए उपबंध करने के लिए, मॉब लिंचिंग से पीड़ितों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्रःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर, सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 22 of 2019

THE RAJASTHAN PROTECTION FROM LYNCHING BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A Bill

to provide for effective protection of the Constitutional rights of vulnerable persons, to punish the acts of lynching, to provide for designated courts for the expeditious trial of such offences, for rehabilitation of victims of mob lynching and their families and for matters connected therewith or incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAMIL KUMAR MATHUR, Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)